मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3673

11.08.2025 को उत्तर के लिए

वन उत्पादों के लिए अनुमति

3673. श्री सुधाकर सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में महुआ, पियर और अन्य औषधीय वन उत्पादों के संग्रहण, भंडारण और बिक्री के लिए स्थानीय वनवासियों को अनुमति/परमिट जारी किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार की महुआ, पियर और अन्य पारंपरिक और औषधीय वन उत्पादों के संग्रहण और बिक्री के लिए बिहार की जनजातियों को इसी प्रकार परमिट जारी करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बिहार, विशेषकर कैमूर जिले में उत्पादित वन उत्पादों की मात्रा और जारी किए गए परमिट की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में बिहार राज्य सरकार के समन्वय से नीति निर्माण हेतु कोई विशेष पहल करने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वनवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से संग्रहित सभी लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रहण तक पहुँच, उपयोग और निपटान के अधिकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद एकत्र करने की अनुमति है।

(ख) से (ड.) बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने दिनांक 23-10-2003 के अपने संकल्प संख्या 3698 के द्वारा लघु वनोपजों की पहचान, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री का अधिकार त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों अर्थात् ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सौंप दिया है। बिहार में वन क्षेत्रों से गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादों का संग्रहण स्वीकृत कार्य-योजना के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 28-01-2013 के अपने संकल्प संख्या 332 तहत

केंदू पत्तों के संग्रहण, भंडारण और बिक्री के लिए बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को पंचायतों का अभिकर्ता नियुक्त किया है।

बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एकत्रित केंदू पत्तों की मात्रा नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	केंदू पत्ता संग्रहण (मानक बैगों की संख्या में)
1.	2023-24	47,686
2.	2024-25	49,470
3.	2025-26 (31 जुलाई, 2025 तक)	37,412

*****